1	2	3	4
Moong	16,300	12,300	4,000
Urd	8,000	500	7,500
Cowpea	4,200	4,200	Nil
	6,19,225	4,11,925	2,07,300

Subsidy on Pesticide on Pests Control of Paddy Crop

4201. SHRI HARIHAR SOREN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the names of the States where schemes have been sanctioned either by the Centre or by the States under which 50 percent grant is given on pesticides for pests control of paddy crop during the current year ;

(b) the type of farmers who are eligible to get such grant; and

(c) the details of such scheme ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Subsidy to the extent of 50 percent on the cost of pesticides is available under the Centrally Sponsored Scheme for the Control and Eradication of Pests and Diseases of Agricultural Importance including Weed Control in Endemic Areas to be shared on 50 : 50 basis between the Centre and the State Government conterned. However, in the case of Union Territories, the entire amount of subsidy is borne by the Government of India.

During the current year, administrative approvals for the Central share of subsidy for the Control of Pests of Paddy Crop have been issued for Kerala, Orissa, Tamil Nadu, Pondicherry, Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh Funds for the first three quarters have also been released. In addition to the subsidy on cost of pesticides, the subsidy on operational cost is also admissible.

(b) Plant protection being advocated to be taken up on the area approach basis, subsidy under the above scheme is available to all categories of farmers.

(c) Under the Centrally Sponsored Scheme for the Control and Eradication of Pests and Diseases of Agricultural Importance including Weed Control in Endemic Areas, all the States/UTs can avail of the assistance as per the following pattern :

(i) **Eradication of Pests and Diseases in Endemic Areas** : Operational subsidy @ Rs. 15/- per ha. for ground operations and Rs. 27.50 per ha. for aerial operations.

(ii) **Control of Special Pests** :—The subsidy to the extent of 50% on the cost of pesticides in addition to the subsidy on operational charges @ Rs. 15/- per ha. No operational subsidy is admissible for seed treatment and rodent control.

(iii) **Project for Weed Control** :— The subsidy to the extent of 25% on the cost of weedicides.

The above subsidies are being shared on 50 : 50 basis between the Centre and the State Governments. However, in case of UTs, the entire amount of subsidy is borne by Government of India.

दिल्ली में गृह कर की दरों में असमानता

4202. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गृह कर की दरों में भारी असमानता है और विभिन्न वर्षों में बनाए

गए मकानों पर भिन्न-भिन्न दरों से गृह कर लगाया जाता है जबकि सभी मकान मालिकों को सुविधाएं एक जैसी मिलती हैं; और

(ख) यदि हां, तो दरों में असमानता का क्या औचित्य है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में समानता लाएगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) नयी दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि सम्पत्तियों के वार्षिक कर योग्य मूल्य के 12½ प्रतिशत की समतुल्य दर पर गृह कर लगाया जा रहा है। वार्षिक कर योग्य मूल्य जो कि पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है, एक मकान से दूसरे के मामले में उनके क्षेत्रफल, निर्माण आदि की लागत में अन्तर के कारण भिन्न-भिन्न हो सकता है। भिन्न-भिन्न वर्षों के लिए कर की कोई भिन्न दर नहीं है।

दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सम्पत्ति कर, दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों तथा दीवान दौलत राय कपूर के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्धारित अथवा निर्धारण योग्य मानक किराए के आधार पर लगाए जाते हैं। सम्पत्तियों के मानक किराए कानून के अनुसार निर्माण के वर्ष के मुताबिक भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने यह भी कहा है कि पंजाबी बाग सहकारी गृह निर्माण समिति बनाम दिल्ली नगर निगम के मुकदमे में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कराधान तथा नागरिक सुविधाओं के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता

4203. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता दी है और यदि हां, तो उन्हें कितनी राशि की सहायता दी गई है;

(ख) क्या प्रत्येक ब्लाक में 5 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो गोरखपुर और सीतापुर जिलों में, पृथक-पृथक प्रत्येक ब्लाक पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितने कर्मचारी बढ़ाये गये और कितने बीज और कितना उर्वरक सप्लाई किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। 1983-84 के दौरान छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने की व्यवस्था की गई है। जून तथा सितम्बर, 1983 को समाप्त प्रथम तथा द्वितीय तिमाहियों की दो किश्तों के लिये सम्बन्धित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय शेयर के रूप में 67.2198 करोड़ रुपये की धन-राशि नियुक्त की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार से सामग्री एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Breaking down of Public Distribution System in Maharashtra

4204. **SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL** : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the Public Distribution System